निरीक्षण टिप्पणी ग्राम पाटनपुर,विकास खण्ड मौदहा।

मा0 मुख्य सचिव,उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 2617/60-2-14-2/3 दिनांक 6-11-2014 के अनुपालन में कुपोषण की समस्या के समाधान हेतु जनपद स्तर पर अतिकुपोषित दो ग्राम सभाओं को गोद लिये जाने के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा गोद लिये गये ग्राम ''पाटनपुर'' विकास खण्ड मौदहा का दिनांक 22-11-2014 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय उप जिलाधिकारी मौदहा, जिला कार्यक्रम अधिकारी,चिकित्साधिकारी सा0स्वा0 केन्द्र मौदहा अपनी टीम सहित उपस्थित रहे।

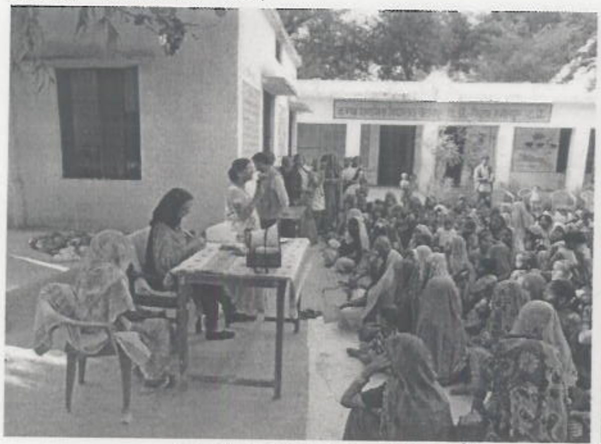
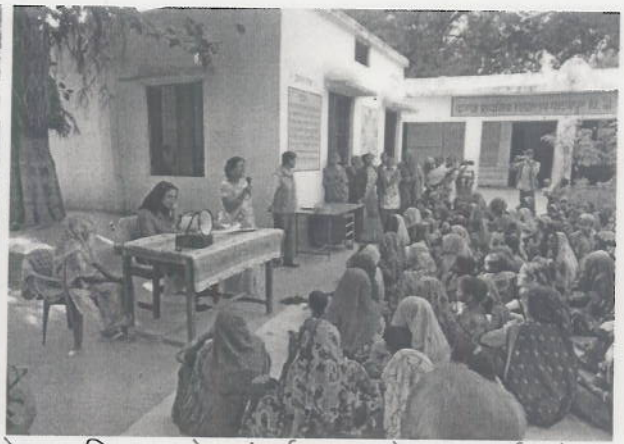

ग्राम सभा पाटनपुर में राज्य पोषण मिशन के अंतर्गत 0 से 05 वर्ष के 07 बच्चें अतिकुपोषित चिन्हित किये गये हैं।

उक्त सभी बच्चों को स्वास्थ्य विभाग की टीम से परीक्षण कराया गया तथा सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को अतिकुपोषित बच्चों को आवश्यक औषधियां उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये तथा इन बच्चों का टीकाकरण एवं नियमित स्वास्थ्य चेक अप भी कराने के निर्देश दिये गयें।

ग्राम में उपस्थित महिलाओं/माताओं को गर्भावस्था के दौरान आवश्यक रूप से गर्भवती महिला के वजन वृद्धि,टीकाकरण,आयरन की गोलियां तथा अतिरिक्त आहार सम्बन्धी जानकारी दी गयी।

सभी उपस्थित आंगनबाडी कार्यकत्रियों को निर्देश दिये गये कि घर-घर भ्रमण कर शिशु देखभाल की निगरानी करें। सभी घरों में आयोडीनयुक्त नमक केप्रयोग को प्रोत्साहित किया जाये तथा 02 वर्ष तक के बच्चों के खान-पान तथा स्वच्छता सम्बन्धी व्यवहार पर विशेष ध्यान दिये जाने के निर्देश दिये गये।

गर्भवती महिलाओं की गोदभराई की गयी तथा गर्भवती महिलाओं को हरी सब्जियों के सेवन एवं इसकी उपयोगिता के सम्बन्ध में बताया गया।

अन्य बिन्दुः-

1- ग्राम में समाजवादी पेंशन योजना की सूची पढकर सुनाई गयी है एवं इसका खुली बैठक में सत्यापन किया गया। ग्राम पंचायत सचिव द्वारा बताया गया कि ग्राम में 87 व्यक्तियों का चयन किया गया है। बैठक में यह शिकायत की गयी है कि ग्राम में एक ही जाति के एवं एक ही परिवार के कई व्यक्तियों का चयन किया गया है। यह भी शिकायत की गयी है कि पिता के नाम काफी भूमि है,लेकिन उसके लडके का नाम शामिल कर लिया गया है। बुकलेट में लाभार्थियों के खाता नम्बर नहीं डाला गया है। ग्रामवासियों द्वारा कई पात्रों को छोडे जाने एवं अपात्रों का चयन किये जाने की शिकायत की गयी। ग्राम पंचायत सचिव ने अंतिम सूची ग्राम में पढकर नहीं सुनाई है। इस सम्बन्ध में तीन सदस्यीय जांच समिति गठित कर जांच करायी जाये।

2- ग्राम में 212 बी0पी0एल0 लाभार्थी हैं एवं 182 व्यक्ति स्थायी पात्रता सूची में हैं,उनके द्वारा शिकायत की गयी कि उन्हें इंदिरा आवास नहीं दिया गया है। पी0डी0डी0आर0डी0ए0 इसे दिखवायें।

3- ग्रामवासियों द्वारा शिकायत की गयी कि ग्राम कम्हरिया से पाटनपुर नहर कई जगह क्षतिग्रस्त है। प्रधान को निर्देश दिये गये कि नहर विभाग से वार्ता करके मनरेगा के तहत उक्त नहर की मरम्मत करायी जाये।

4- ग्राम सुरक्षा समिति बनाकर इसमें युवावर्ग के लोगों को शामिल कर इसे प्रभावी किये जाने के निर्देश दिये गये।

(सन्ध्या तिवारी)
जिलाधिकारी
हमीरपुर।

कार्यालय जिलाधिकारी हमीरपुर।

संख्या–352/पी0ए0 दिनांक–नवम्बर 26 2014

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निदेशक,बाल विकास एवं पुष्टाहार उ0प्र0 लखनऊ।
2– आयुक्त,चित्रकूटधाम मण्डल बांदा को अवलोकनार्थ प्रेषित।
3– पुलिस अधीक्षक हमीरपुर।
4– मुख्य विकास अधिकारी हमीरपुर।
5– परियोजना निदेशक,डीआरडीए हमीरपुर।
6– मुख्य चिकित्साधिकारी हमीरपुर।
7– जिला कार्यक्रम अधिकारी हमीरपुर।
8– अधिशाषी अभियन्ता विद्युत हमीरपुर।
9– खण्ड विकास अधिकारी सुमेरपुर।
10– थानाध्यक्ष बिवांर।

(सन्ध्या तिवारी)
जिलाधिकारी
हमीरपुर।